



20/10/2020

	<p align="center">अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)</p> <p align="center">जमावंदी रद्द अभिलेख वाद सं०-.....727...../2016-17</p> <p>वाद का प्रकार :- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p>
<p>6/10/16</p>	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा.....<u>बलियापुर</u>..... थाना नं०.....<u>29</u>.....जमा०सं० <u>2158</u></p> <p>खाता सं०.....<u>302</u>..... प्लॉट सं०.....<u>3457</u>.....रकबा.....<u>3.85</u></p> <p>एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 पर जमाबंदी रैयत <u>श्री अ.ब.क.सू.०</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतए० संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p align="center">अभिलेख दिनांक.....<u>13/11/17</u>..... को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी, बलियापुर।</p> <p align="right">  अंचल अधिकारी, बलियापुर। </p>

दिनांक		अभ्युक्ति
18/4/18 19/10/2020	<p>लम्बी अवधि के बाद अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबंदी रैयत/रैयत के वंशज न्यायालय में अनुपस्थित। इनके अनुपस्थिति से ऐसा प्रतित होता है कि इनके पास उपरोक्त भूमि से संबंधित कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है।</p> <p>अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रेत्तर कारवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।</p> <p style="text-align: right;"> 19.10.2020</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी बलियापुर।</p>	